



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 6 मार्च, 2023:

फाल्गुन, 15, 1944 शक: सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

चिकित्सा अनुभाग-9

संख्या 239/पाँच-9-2023

लखनऊ, 6 मार्च, 2023

अधिसूचना

प0310-242

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित रारोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (अधिनियम संख्या 47 सन् 2021) की धारा 35 की उपधारा (2) व धारा 35 की उपधारा (3) के खण्ड (ब) तथा सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (अधिनियम संख्या 42 सन् 2021) को धारा 12 की उपधारा (2) व धारा 12 की उपधारा (3) के खण्ड (ब) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियमों के प्रयोजनार्थ राज्य के प्रत्येक जिला हेतु निम्नलिखित सदस्यों सहित समुचित प्राधिकरण की नियुक्ति करती है :-

1-जिला मजिस्ट्रेट	-	अध्यक्ष
2-अपर जिला मजिस्ट्रेट	-	सदस्य
3-मुख्य चिकित्सा अधिकारी	-	सदस्य सचिव
4-अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ/ प्रसूति रोग विशेषज्ञ/बाल रोग विशेषज्ञ/ रेडियोलॉजिस्ट	-	नामनिर्दिष्ट सदस्य
5-संयुक्त निदेशक, अभियोजन	-	सदस्य

आज्ञा से,
अपर्णा यू०,
सचिव।